



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2740]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2015/अग्रहायण 26, 1937

No. 2740]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2015/AGRAHAYANA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3438(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 13 मार्च, 2014 को भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) तारीख 13 मार्च, 2014 को सिवाय उन चीजों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारियों को पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों के संबंध शिकायतें फाइल करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
	(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निदेशक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी।	संपूर्ण भारत

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालयों के निदेशक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी ।	संपूर्ण भारत
(iii) राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग के या संघ राज्यक्षेत्र (यू.टी.) प्रशासन के राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के निदेशक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी ।	संपूर्ण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र
(iv) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अपर निदेशक की पंक्ति से अन्यून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारी ।	संपूर्ण भारत
(v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) के राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के निदेशक की पंक्ति से अन्यून अधिकारी ।	संपूर्ण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

[एफ. सं. 17(3)/2012-पीएल/एनजीटी(पीटी)]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2015

S.O. 3438(E).— In exercise of the powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), and in supersession of the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.748(E), dated the 13th March, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (ii), dated 13th March, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the officers mentioned in column (2) of the Table below, to file complaints with regard to the offences punishable under the said Act, within the area of jurisdiction specified in the corresponding entry in column (3) of the aforesaid Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Officers authorised to file complaints under clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the National Green Tribunal Act, 2010	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
	(i) Officers of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Director.	Whole of India
	(ii) Officers of the Regional Offices of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change not below the rank of Director.	Whole of India
	(iii) Officers of the Environment Department of the State Government or the Union Territory (UT) Administration not below rank of a Director in the State Government or the Union Territory Administration.	Whole of State/Union Territory
	(iv) Officer of the Central Pollution Control Board (CPCB) not below the rank of an Additional Director in the CPCB.	Whole of India
	(v) Officers of the State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committees (PCC) not below the rank of a Director in the State Government or the Union Territory Administration.	Whole of State/Union Territory

[F. No. 17(3)/2012- PL/NGT (Pt.)]
ARUN KUMAR MEHTA Jt. Secy.